आतिरिक्त ...
अजमेर

16/7/18	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अभि० उप०। अप्रार्थी सं० 1, 5 बावजूद सूचना अनुप- स्थित। प्रार्थी अभि० को प्रा०पत्र का जवाब पेश था। प्रा०पत्र पर बहस सुनी गई। प्रा०पत्र स्वीकार किया जाता है मूल अपील को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। प्रा०पत्र शा० कि० हो। तत्पश्चात प्रा०पत्र नाम तरमीम रेस्पो० सं० 2 (उत्तराधिकारीगण) पर बहस सुनी गई। प्रार्थी अभि० ने निवेदन किया कि मृतक उत्तराधिकारी [illegible] नाबालिग पूर्व में ही अपील में पक्षकार है अतः [illegible] बाद प्रा०पत्र स्वीकार किया जाकर रेस्पो० सं० 2 का नाम तरमीम के आदेश दिये जाते हैं कि [illegible] रजिस्टर में अंकन किया जावे।	अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर